

सेवा में

श्रीमान् मुख्यअधिशायी अधिकारी  
मथुरा छावनी मथुरा

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के अन्तर्गत वांछित सूचना हेतु आवेदन :-

1. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के अन्तर्गत आपके पत्रांक छा.प.म./आर.टी.आई.-05/542/383 दिनांक 23.10.2015 के द्वारा आपके परिक्षेत्र में आने वाली रेलवे कॉलोनी व चन्दन वन में सीवरेज सिस्टम नहीं है तो उस कॉलॉनियों में बने हुए मकानों के ओवर फलों पाइप नाली में है या अन्य कोई सुविधा छावनी परिषद् द्वारा की गई है स्पष्ट करें ।

2.आपके उक्त आदेशानुसार मोतीकुन्ज.मोतीकुन्ज एक्सटेन्शन.रेलवे कॉलोनी व चन्दन वन के मकानों में सैप्टिक टैंक मंजूर है और आपके द्वारा किसी भी भवन स्वामी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। तो आपके द्वारा किस प्रावधान के अनुसार प्रार्थी को ओवर फलों पाइप सीवरेज सिस्टम से जोड़ने के आदेश जारी किये गये । उस आदेश की प्रति संलग्न करें ।

3. वर्तमान में मानचित्र स्वीकृति के बॉयलॉज क्या है की प्रति संलग्न करें ।

सूचना पूर्ण रूप से स्पष्ट हो । सूचना में यदि कोई शुल्क देय हो तो प्रार्थी के मो.न. 9412178694 पर अबिलम्ब सूचित करें। ताकि मात्र शुल्क के आधार पर सूचना में बिलम्ब न हो ।

संलग्न:- मॉस्टल आर्डर नं० - 37 P - 285725

दिनांक:- 17/5/18

प्रार्थी

मंजु सिंह  
मंजु सिंह पत्नी श्री धुवराज सिंह  
ए-36 मोतीकुन्ज. एक्स.  
मथुरा

ए/10  
मंजु  
19/5

मंजु  
21/5/18

मंजु  
21/5/18